राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

कमरा नं. 8320, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर
email Id: dir.socialaudit@rajasthan.gov.in & Phone No. 0141-2227033

क्रमांकः एफ.61(123)SSAAT/RPP/2020/2747 दिनांकः 10 जून, 2021

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (मनरेगा)
समस्त जिला, राजस्थान

(आदेश सं. 35)

विषयः—राजस्थान पेमेंट पोर्टल पर सामाजिक अंकेक्षण मानदेय के असफल रहे भुगतानों (Failed Payments) को पुनः प्रोसेस (Process) करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के मानदेय का भुगतान ई–पंचायत एप्लीकेशन से राजस्थान पेमेंट पोर्टल पर आपके अधीनस्थ पंचायत समितियों द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्व सभी BRPs/VRPs के मानदेय का माह दिसम्बर 2020 एवं कुछ प्रकरणों माह जनवरी 2021 तक के भुगतान राजस्थान पेमेंट पोर्टल ई–पंचायत के माध्यम से सोसायटी मुख्यालय जयपुर द्वारा किया गया था। जो भुगतान मुख्यालय द्वारा किये गये उनकी सूची समस्त जिलों को इस कार्यालय के पत्र कमांक एफ 61 (1)SSAAT/Bankaccount/2020–21/2632 दिनांक 30.04.2021 द्वारा कुल 1378 BRPs/VRPs की सूची प्रेषित की गई और कमांक एफ 61 (1)SSAAT/Bank account/2020–21/2640 दिनांक 13.05.2021 द्वारा कुल 64 BRPs/VRPs की सूची प्रेषित की गई थी। इन भुगतानों में से जो भी भुगतान राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर असफल होना प्रदर्शित हो रहे है उन सभी को पुनः भुगतान करने हेतु केवल पंचायत समितियाँ ही अग्रिम कार्यवाही करने हेतु राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर अधिकृत है।

इसी प्रकार ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को पंचायत समिति के स्तर पर किये जा रहे भुगतानों में से भी कुछ लोगों के भुगतान असफल (Fail) हो जाते हैं।

असफल रहे भुगतानों (Failed Payments) में राजस्थान पेमेंट पोर्टल सिस्टम द्वारा बैंक खाता उपलब्ध न होना, बैंक खाता या आईएफएससी कोड़ गलत होना आदि अंकित रहता है। साथ ही ऐसे असफल भुगतान Repayment करने का ऑप्शन भी उपलब्ध रहता है जिसमें अंकित की गई अपूर्णता की पूर्ति करते हुये प्रोसेस करने पर भुगतान किया जा सकता है।

अतः आप सभी विकास अधिकारियों को निर्देशित कराने का श्रम करावें कि वे मुख्यालय जयपुर द्वारा किये गये भुगतानों और पंचायत समितियों द्वारा किये जा रहे भुगतानों में से असफल

भुगतान (Failed Payments) को पुनः प्रोसेस करके Repayment की प्रकिया सम्पादित करावें। यह प्रकिया नियमित रुप से दैनिक आधार पर की जानी चाहिये ताकि असफल रहे (Failed Payments) भुगतान वापस दुरुस्त हो सकें। विशेष रुप से निर्देशित किया जाता है कि किसी भी असफल भुगतान (Failed Payments) के बदले में नये सिरे से भुगतान (Fresh Payment) कार्यवाही नहीं की जानी है। केवल राजस्थान पेमेंट प्लेटफार्म पर प्रदर्शित Repayment Option पर जाकर ही पुनः प्रोसेस करना है।

भवदीय,

(रामावतार शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः एफ.61(123)SSAAT/RPP/2020/ 2748-50 दिनांकः 10 जून, 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, सचिव, ग्रा.वि.विभाग सह अध्यक्ष, EC, SSAAT
2. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना
3. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT
4. विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा पंचायत समिति समस्त को पालनार्थ।
5. लेखाधिकारी, (प्रशासन)/(सामाजिक अंकेक्षण) SSAAT को पालनार्थ।
6. प्रोग्रामर एवं सूचना सहायक, SSAAT को पालनार्थ।
7. समस्त सहायक लेखाधिकारी प्रथम एवं द्वितीय समस्त, SSAAT को पालना सुनिश्चित कराने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार अग्रवाल)
कार्यालयाध्यक्ष, SSAAT